UPHR010031862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे०ओ० कोड नं०–यू०पी० 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1384/2026

हर्षित सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह, निवासी रद्देपुरवा रोड, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांकः 16.05.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त हर्षित सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–282/2026, अन्तर्गत धारा–3(5), 109(1), 117(2), 140(1) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में सोनी सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मीनू की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 22.04.2026 को समय करीब 09.00 बजे शाम को वादी मुकदमा का बेटा प्रभात मिश्रा और उसका पड़ोसी सोनू अग्निहोत्री दवा लेने गये थे। तभी वहाँ अभय सिंह ने प्रभात को फोन किया और उसे बाइपास पर बुलाया। जहाँ रामबाबू शुक्ला, सोनू शुक्ला, अमित शुक्ला, हर्षित, मनीष शुक्ला, आदित्य, अमन यादव, मोनू, शरद द्विवेदी, मून उस्मानी और कुछ अन्य लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से मारा पीटा व अपने साथ गाड़ी में ले गये और अभी तक उसका बेटा वापस नहीं आया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसको उक्त मुकदमा में स्थानीय चुनावी व राजनैतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन विलम्ब से लिखाई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया है। मौखिक साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास है। उक्त मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले थाने पर धारा–140(1) बी०एन०एस० में लिखाई। उसके कई दिन के बाद विवेचक द्वारा धारा–3(5), 109(1), 117(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.05.16 17:07:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गई। मजरूब प्रशान्त मिश्रा के शरीर पर कोई प्राणघातक चोट नहीं पाई गई तथा मजरूब सोनू अग्निहोत्री के शरीर पर आई चोटें शरीर के मार्मिक भाग पर नहीं है एवं साधारण है। दोनों चोटहिल रात के अंधेरे में किसी अन्य जगह मारे पीटे गए। दोनों मजरूबों की एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त मुकदमा धारा–109(1) बी०एन०एस० की श्रेणी में नहीं आता। राजनैतिक रंजिश के कारण उसका एवं अन्य का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया है। उक्त मुकदमें में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5– वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

7– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

8– अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र प्रभात मिश्रा एवं उसके पड़ोसी सोनू अग्निहोत्री का घातक हथियारों से लैस होकर हत्या करने के उद्देश्य से व्यपहरण किया तथा जान से मारने की नीयत से मारा पीटा तथा उन्हें मरा समझकर लखनऊ रोड पर छोड़कर भाग गये। घटना में दोनों चोटहिलों की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संलग्न केस डायरी है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में **चोटहिल प्रभात मिश्रा** के **1.** Contusion 3 cm x 2 cm present on top fo skull 9 cm above left ear. Red in colour. KUO. Adv. X-ray. **2.** Multiple contusion in area present on left thigh with no. of four contusion 6 cm x 2 cm, 4 cm x 2 cm, 8 cm x 3 cm, 4 cm x 3 cm with knee. Red in colour. **3.** Contusion 6 cm x 2 cm present on dorsum of right thigh 8 cm above right knee. Red in colour. **4.** Contusion 6 cm x 3 cm present on right leg 4 cm above right knee. Red in colour. **5.** Contusion 7 cm x 2 cm present on back of left side chest 6 cm below scapula. Red in colour. **6.** Contusion 3 cm x 2 cm present on left scapula. Red in colour. **7.** Contusion 6 cm x 2 cm present on right scapula. Red in colour. **8.** Contusion 6 cm x 5 cm present on left hip joint. Red in colour. **9.** Contused left elbow with forearm 10 cm x 5 cm present on. Red in colour. KUO. Adv. X-ray. **10.** Contusion 6 cm x 5 cm present on right forearm with wrist. Red in colour. KUO. **11.** Contusion 10 cm x 7 cm present on right arm with shoulder. Red in colour. **12.** Contusion 6 cm x 5 cm present on right elbow with forearm. KUO. **13.** Contusion 5 cm x 3 cm present on left hip region. Red in colour. **14.** Abraded contusion 3 cm x 3 cm present on right great toe. Red in colour एवं **चोटहिल सोनू अग्निहोत्री** के **1.** Contusion 6 cm x 3 cm present on right side back 7 cm below right scapula. Red in colour. **2.** Contusion 5 cm x 3 cm present on left hip joint. Red in colour. **3.** Contusion 15 cm x

4 cm present on right hip with thigh. Red in colour. **4.** Contusion 6 cm x 3 cm present on back of right thigh knee. Red in colour. **5.** L/W 3 cm x 1.5 cm present on front of left leg 16 cm below left knee. Margin irregular. Red scab present. 6. C/o pain left shoulder with scapula. KUO. Adv. X-ray आना अंकित है। चिकित्सक द्वारा उक्त चोटहिलों को आयी चोटें Hard and Blunt Object से आना अंकित है। चोटहिलों के चोटों की प्रकृति जानने के लिए विशेषज्ञ राय हेतु विशेषज्ञ के पास भेजा गया, जिसमें चोटहिल प्रभात मिश्रा के चोट संख्या–2 व 3 में Fracture lower end of radius bone of right forearm with wrist आना अंकित है।

9– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध व चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **हर्षित सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 16.05.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।